भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 625719

[illegible] न्यास पत्र

न्यास का नाम [illegible] श्रीमती रेखा सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह निवासी 240 डी/4 सी/1 ए [illegible] इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ– मुख्य न्यासी

एवं श्री अभिषेक सिंह [illegible] पुत्र श्री संदीप कुमार सिंह निवासी 240 डी/4 सी/1 ए [illegible] इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ– सहमुख्य न्यासी

विदित हो कि [illegible] सार्वजनिक हित [illegible] एवं [illegible] हेतु एक न्यास का गठन किया जो निम्न है–

1. यह कि न्यास का [illegible] 5000 [illegible] किया जा रहा है।

रेखा सिंह

क्रमांक 453 दिनांक 28/[illegible]

सहायक औषधि का नाम [illegible]

निवासी ....

[illegible] विक्रेता [illegible]

निवास [illegible]

[illegible] की अवधि 31 मार्च [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AH 625718

[3]

2. यह कि इस मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास का पंजीकृत कार्यालय 24B बी/4 बी/1 ए [illegible], इलाहाबाद में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति प्राप्त एवं बाबत इसके कार्यालय की देश व प्रदेश की राजधानी व अन्य स्थानों पर स्थापना की जायेगी और इन कार्यालयों के प्रति या न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार भी कराया जा सकेगा।

3. यह कि इस मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य न्यासी होंगे तथा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो कि न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप न्यास के हित में न्यास न्यासी के रूप में कार्य करने को सहमत है। न्यास का न्यासित नामित करता हूं इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा तथा मुख्य न्यासी व न्यासियों को संयुक्त रूप से न्यासी मण्डल कहा जायेगा।

1. श्रीमती रेखा सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह ——उत्तर प्रदेश की निवासी हूं।
2. श्री अभिषेक सिंह सोलंकी पुत्र श्री संदीप कुमार सिंह ——उत्तर प्रदेश का निवासी हूं।
3. श्री संदीप कुमार सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह ——उत्तर प्रदेश का निवासी हूं।

रेखा सिंह

स्टाम्प विक्रेता [illegible] लाइसेंस नं॰ 533

तहसील [illegible]

[illegible] 2014 [illegible]

[illegible]

100.00	20	120.00	[illegible]
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्रीमती [illegible]

पत्नी श्री [illegible] सिंह

व्यवसाय :

निवासी स्थायी 240/[illegible] इलाहाबाद

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/4/2014 समय 3:17PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]

उप निबंधक सोरांव

इलाहाबाद

29/4/2014

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

[illegible]

श्रीमती [illegible]

[illegible]

पत्नी श्री [illegible] सिंह

पेशा

निवासी 240/[illegible] इलाहाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री [illegible] सिंह

पुत्र श्री [illegible] सिंह

पेशा

निवासी [illegible] इलाहाबाद

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा वकालत

निवासी [illegible] सोरांव इलाहाबाद

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]

उप निबंधक सोरांव

इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [3] AH 625717

6. न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. समाज के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।

2. निर्बल एवं असहाय के उत्थान में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाना तथा संचालित करना।

3. बेकारी, भूख, बाढ़ तथा साम्प्रदायिक एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य करना।

4. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना।

5. जनमानस को परिश्रम करके धन अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना तथा युवाओं व शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करना।

[illegible] 533

[illegible]

[illegible] 31 मार्च 201- [illegible]

[illegible]

Registration No.: 3 Year: 2,014 Book No.: 4

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

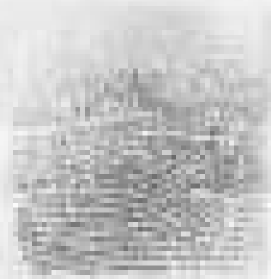

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AH 625716

6. समाज के लोगों के लिए उनके उत्थान से सम्बन्धित समस्त कार्य जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को गतिशील करने व स्थानीय समस्याओं को दूर करने में सहयोग हो, आयोजित कर सामाजिक जागरूकता पैदा करना।

7. नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र छात्राओं को रचनात्मक दिशा देने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रशासनिक सुविधा हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालय, पालिटेक्निक व्यावसायिक शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, प्रबन्धन, विज्ञान, नर्सिंग इत्यादि कालेज की स्थापना करना एवं उनका संचालन एवं प्रबन्ध करना।

8. वर्तमान समय में विज्ञान के जनजीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकि पर आधारित होने के कारण इससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को आधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

… 533

… 31 मार्च 201-

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [5] AH 625715

9. न्यास के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में महिला कल्याण केन्द्र, वाचनालय एवं अन्य कल्याण केन्द्रों की स्थापना करना।

10. सदस्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण हेतु समय समय पर खेलकूद तथा सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर विचार गोष्ठी का आयोजन करना।

11. सदस्यों में सहकारिता एवं सहभागिता की भावना को विकसित करना।

12. निराश्रित अनुसूचित, अनुसूचित जन जाति पिछड़े एवं गरीब व असहाय बच्चों के लिए उच्च तकनीकि शिक्षा कम खर्च में उपलब्ध कराना।

13. सामाजिक असमानता को मिटाने के लिए धार्मिक तथा सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों को आयोजित करना तथा इस हेतु कैम्प एवं सेमिनार का आयोजन करना।

[illegible]

[illegible] 31 मार्च 201_ तक [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

|8|

AH 625714

14. युवकों के कल्याण हेतु सतत सम्यक प्रयास करना एवं उनके लिए विविध कार्यक्रमों का संचालन करना तथा हर स्तर के छात्रों एवं छात्राओं के अध्ययन एवं आवास की समस्या के निराकरण हेतु छात्रावासों का निर्माण करना।

15. भारतीय नागरिकों के कल्याणार्थ ऐसे सभी कार्य करना जो भारत सरकार संचालित करे जैसे मद्यपान निषेध कार्यक्रम, परिवार नियोजन एवं एड्स रोग की रोकथाम, विकलांगता दूर करना, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, महिला उत्थान के कार्यक्रम इत्यादि।

16. पर्यावरण सुरक्षा से सम्बन्धित हर सम्भव प्रयास करना। प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था तथा पशु पक्षियों एवं अन्य जानवरों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु प्रयास करना।

17. पीड़ित व्यक्तियों को सर्वसुलभ सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सालय की स्थापना एवं संचालन करना तथा इससे सम्बन्धित विभिन्न विधाओं की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकीय महाविद्यालयों की स्थापना करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 625713

18. अन्धापन, पोलियो, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, कैन्सर एवं एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धित कार्यों को करना तथा इन रोगों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाना।

19. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रचार प्रसार के लिए सम्बन्धित समस्त कार्यों को करना तथा विभिन्न स्तर की तकनीकि शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए तकनीकि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना।

20. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करने तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

21. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसकी विभिन्न इकाईयों की सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।

22. न्यास की अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग निकायकारी समितियों का गठन करना।

[illegible] सिंह

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] का नाम [illegible]

पता [illegible]

[illegible] विक्रेता [illegible]

निवास [illegible]

[illegible] की तारीख 31 मार्च 2015 तक [illegible]

Rs50

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 625712

[8]

23. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की व्यवस्था के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सहायता शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि निर्धारित करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।

24. न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

25. न्यास की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना।

26. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित करना।

9

[illegible]

[illegible] 553

[illegible]

[illegible] 31 मार्च 201_ [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 625711

[7]

27. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों तथा समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना और उनके हित में अन्य कार्यों को प्रारम्भ करना।

28. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी, निगमों से दान, उपहार, अनुदान व अन्य रूप से दान व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के लिए सम्पत्ति की व्यवस्था करना और आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

29. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।

8. न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी।

न्यास का गठन एवं संचालन :—

क. न्यास के मुख्य न्यासी आजीवन संस्थापक एवं प्रबन्धक होंगे जिन्हें अपने जीवन काल में अपने मुख्य न्यास को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में इस प्रकार अगले मुख्य न्यासी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाती है, ~~उनके विधिक उत्तराधिकारी न्यास के मुख्य न्यासी होंगे किन्हीं परिस्थितियों में~~ यदि एक से ज्यादा विधिक उत्तराधिकारी हों तो उनमें से मुख्य न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उनकी योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुए की जायेगी।

ख. मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता यदि की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित न्यासी मुख्य न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होंगे।

1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 31 मार्च 2017 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AH 625710

ग. न्यास मण्डल के किसी अन्य सदस्यों को उनके द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हें न्यास से पृथक कर दिया जायेगा। और उनके स्थान पर सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को न्यास मण्डल की बहुमत से न्यासी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा।

घ. यदि कोई न्यासी उक्त प्रकार से न्यास से पृथक नहीं किया जाता है यदि उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा और उनकी मृत्यु या स्वेच्छया पद त्याग करने की स्थिति में मुख्य न्यासी द्वारा उनके विधिक उत्तराधिकारी का न्यास मण्डल की राय से न्यासी के रूप में सम्मिलित करने का अधिकार होगा। न्यास के किसी विधिक उत्तराधिकारी को न्यास मण्डल सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक में अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की वह अवधि मानी जायेगी कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

रमा सिंह

10

[illegible]

विक्रेता [illegible]

निवासी [illegible]

[illegible] 2013 [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [11] AH 625709

ग. वार्षिक बैठक में न्यास के सहायक वर्ग के क्रियाकलापों पर विचार होगा और आय व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं निर्णय पर न्यास अध्यक्ष का फैसला अन्तिम होगा।

न्यास का कोष :-

क. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सहायता शुल्क मेंटरों के सम्बन्ध में प्राप्त योगदान, दान, अनुदान, चन्दा एवं सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त धनराशियां एवं ली गयी ऋण राशियाँ निहित होंगी।

ख. न्यास के कोष की व्यवस्था के लिए लेखा खाता किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में खोला जायेगा जिसका संचालन मुख्य न्यासी द्वारा स्वयं अकेले अथवा उनके द्वारा नामित किसी अन्य न्यासी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

न्यास के अभिलेख :- न्यास के अभिलेख को तैयार करने, रखने व रख रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा। मुख्य न्यासी द्वारा मुख्य रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखा का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

६. न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी :-

[illegible]

[illegible] स्टाम्प विक्रेता [illegible] 533

[illegible] कचहरी—इलाहाबाद

[illegible] 11 मार्च 2015 [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 625708

क. यह कि न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं व बैंकों इत्यादि से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और अन्य किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में न्यास की ओर से उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए, मुख्य न्यासी व एक अन्य न्यासी जिसे मुख्य न्यासी उचित समझे अधिकृत होंगे।

ख. यह कि मुख्य न्यासी की राय से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या निर्मित चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगी। न्यास मण्डल, न्यास की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

ग. यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा न्यास व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

रेखा सिंह

क्रमांक 1492 ... [illegible]

[illegible] का नाम ... [illegible]

निवासी ... [illegible]

स्टाम्प विक्रेता ... लाइसेन्स 2010 नं0 533

मुकाम ... [illegible]

तारीख 31 मार्च 201_ हस्ताक्षर [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 625707

1. न्यास की आय व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य न्यासी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।
2. न्यास द्वारा या न्यास के विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से की जायेगी जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जावेगी।
3. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तें एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से स्वयं उनके कार्यों को करेगा तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त न्यास अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रति दिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।
4. न्यास मण्डल, न्यास के लिए वह भी कार्य करेगा जो न्यास के हितों के लिए आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
5. न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्तें लागू होंगी।
6. इस विलेख द्वारा किसी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण किया जा सकता है।

लिहाजा [illegible] अपने बिना किसी भय या दबाव के अपनी खुशी व रजामन्दी से [illegible] गवाह [illegible] के सामने यह न्यास पत्र निष्पादित कर दिया और हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

13

[illegible] द्वारा [illegible] निवासी

[illegible]

[illegible]

स्टाम्प विक्रेता [illegible] लाइसेंस नं. 5323

[illegible] कचेहरी–[illegible]

[illegible] 31 [illegible] 2015 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 620937

[illegible]

नोट -- [illegible]

[illegible]

[illegible] -- [illegible]

[illegible] -- [illegible]

[illegible] -- [illegible]

[illegible] -- [illegible] G.K. Tripathi

[illegible]

[illegible] -- [illegible] 2014 [illegible]

[illegible]

2121

आज दिनांक 29/04/2014 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 14

पृष्ठ सं. 157 से 184 पर क्रमांक 5

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमृता जायसवाल

उप निबंधक सोरांव

इलाहाबाद

29/4/2014